न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/111/2023 रजू दिनांकः 05.09.2023 रजि0 न0 2023/653

अपीलार्थीः–

श्री सुरेन्द्र आर्य पुत्र श्री यशपाल आर्य, निवासी 30/228, मौहल्ला चकला मूंदी मालाखेड़ा बाजार अलवर, जिला अवलर (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 09.10.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 18.09.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र कमांक यूआईटी/आर.टी.आई/2023/7901 दिनांक 18.09.2023 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जाकर अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र आर्य पुत्र री यशपाल आर्य, अलवर के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम आवेदन कमांक 5067 दिनांक 11.8.2023 के चाही गई बिन्दुवार सूचना कमशः बिन्दु संख्या 1– प्रार्थी का पत्र कमांक 3944 दिनांक 26.06.2023 एक मांग है। बिन्दु संख्या–2 उक्त पत्रांक के अनुसार ट्रेफिक लाईट लगाने का निर्णय जिला यातायात समिति के द्वारा लिया जाना है। नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा नहीं। वांछित सूचना के संदर्भ में अपीलार्थी को उक्त पत्रांक के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 09.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)